फर्द अहकाम

लच्छू बनाम राजेन्द्र

नाम न्यायालय Aem आमेर जयपुर

केस संख्या 12/2024 (TS)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/11/24	पत्रावली आज दिनांक 5/11/24 पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/11/24 को पेश हो।
	14/11/24	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एण्ड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/11/24 को पेश हो।
	18/11/24	पत्रावली आज दिनांक 18/11/2024 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एण्ड बार एसो. जयपुर [illegible] जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/11/24 को पेश हो।
	19/11/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व० फ० 84। प्रतिवादीगण। अपीलीगण ने अपना जवाब पेश नहीं किया है अतः इनका जवाब का अवसर बंद किया जाता है। अपीलीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अभिवचन किया कि अपीलीगण बिना विधिक विशिष्ट भूमि पर कब्जा एवं निर्माण करके उतारू है अतः यदि अपीलीगण को पाबंद नहीं किया गया तो वाद का औचित्य समाप्त हो जायेगा। प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्कों का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात अनुसार पट्टाकरण का सत्यापन नहीं हुआ है अतः अपील को अपूर्णीपस्थित होने की प्रबल संभावना है। ऐसी स्थिति में [illegible] अपीलीय प्राधिकारी के पक्ष में [illegible] के जारी [illegible] किया जाता है। [illegible] प्रावधान के मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई [illegible] जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार घेकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर